कृषि का विकास
मनरेगा के साथ

आयोजक :

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर

प्रायोजक :

Sir Dorabji Tata Trust
सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट
मुम्बई

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना

आधुनिकता और विकास की दौड़ में शामिल मनुष्य एक तरफ जहां प्रकृति को नयी–नयी चुनौतियां दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ विकासात्मक प्रक्रिया में प्राकृतिक सम्पदाओं के निरन्तर एवं अंधाधुन्ध दोहन से बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय ह्रास हो रहा है। इस ह्रास के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और नतीजे के तौर पर प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ती जा रही है। आज विश्व का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, कहीं भू–स्खलन तो कहीं पर चक्रवात, कहीं पर भूकम्प इस ह्रास के ही उदाहरण हैं। भारत जैसे विकासशील देश की बात करें तो यहां पर अभी भी 60 प्रतिशत से अधिक खेती मौसम आधारित है और ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना अधिक चिन्तनीय है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, उससे सर्वाधिक नुकसान कृषि का होता है और कृषि उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 80 प्रतिशत भारत गांवों में बसता है और इनकी आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। अतः प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते प्रभाव की मार भी सर्वाधिक इसी वर्ग पर पड़ती है। चूंकि देश की बहुसंख्य आबादी अस्त–व्यस्त जीवन को जी रही है, तो ऐसे में देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना ही बेमानी होगी। भारत सरकार इस गम्भीर चिन्तनीय विषय को संज्ञान में लेते हुए देश के कृषक समुदाय के लिए समय–समय पर विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करती रही है। इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में स्वीकृत **राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना** एक महत्वपूर्ण बिन्दु स्थापित हुई। इस योजना को यदि देश के विकास हेतु मील का पत्थर कहा जाये तो अतिश्योक्ति न होगी, क्योंकि इसे लागू करने के पीछे बहुआयामी सोच थी – एक तो गांवों से लोगों का पलायन रोकना, दूसरा सार्वजनिक/व्यक्तिगत प्राकृतिक सम्पत्ति को पुर्नजीवन, संरक्षण प्रदान करना, जिससे पर्यावरण सुधार में भी व्यापक मदद मिले।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना की विशेषताएं

1. योजना के अधिनियम की धारा 4 (3) के अन्तर्गत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर मुख्य रूप से निम्न कार्यक्रमों को अनुमन्य किया गया है।
    - जल संरक्षण एवं जल संचयन
    - सूखारोधी कार्य (वनीकरण एवं वृक्षारोपण)
    - सिचांई नहर के अन्तर्गत सूक्ष्म व लघु सिंचाई की व्यवस्था
    - अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्वामित्व वाली, भूमि सुधार कार्यक्रम के हितभागियों एवं इन्दिरा आवास योजना के अधीन लाभार्थियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का प्रावधान
    - तालाबों के शुद्धीकरण समेत पारम्परिक जल निकायों का नवीनीकरण
    - भूमि विकास
    - बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण कार्य जिसमें जल जमाव क्षेत्र से जल निकासी का कार्य भी सम्मिलित है।
    - सभी मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ाव हेतु पहुँच मार्ग को मुहैया कराना
    - कोई अन्य कार्य जो राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रिय सरकार द्वारा अधिसूचित हो

2. इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य, टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन कर आजीविका के आधारीय संसाधनों को सुदृढ़ करना होगा।
3. योजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे।
4. स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर कार्य करने के लिए राज्य परिषद वरीयता सूची का निमार्ण करेंगी।
5. योजना उन समुचित व्यवस्था के अधीन रहते हुए पूरी होगी जो सृजित सार्वजनिक सम्पत्ति के उचित रख–रखाव हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों के अधीन एवं उसमें उल्लेखित की गई।

कृषि एवं मनरेगा

भारत में सुनियोजित विकास हेतु विभिन्न प्रकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई जिनका मूलभूत उद्देश्य ग्रामीण गरीबी उन्मूलन है। मनरेगा इसी प्रकार की योजना है, जो विभिन्न विशेषताओं से परिपूर्ण है। मनरेगा के अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली सभी गतिविधियों का बहुमुखी उद्देश्य ग्रामीण गरीबी उन्मूलन ही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने ग्रामीण गरीबों हेतु आवास की सुविधा, स्वरोजगार एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण के साथ ही कृषि विकास जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए मनरेगा योजना को लागू किया। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गरीब एवं पिछड़ा वर्ग है, जो कृषिगत कार्यों अथवा खेतिहर मजदूरी में लगा हुआ है। इन्हें लघु, सीमान्त किसानों की संज्ञा दी गयी। इन लघु, सीमान्त किसानों में से बहुत से लोग भूमिहीन हैं और दूसरे की खेती लेकर बटाई पर कार्य करते हैं। कुछ के पास यदि भूमि है भी तो बंजर है अथवा यदि कृषि योग्य भूमि है तो उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। सूखे क्षेत्रों के साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी सिंचाई की समस्या ने किसानों को बदहाल स्थिति में खड़ा किया है, जिससे विवश होकर बड़े पैमाने पर किसानों में कर्ज लेने की परम्परा बढ़ी और उससे निजात पाने के लिए उन्हें सुदूर शहरों की ओर पलायन करना पड़ा, जहां जाकर देश का किसान गारा–माटी करने पर मजबूर है। ऐसे लघु सीमान्त किसानों के मनरेगा योजना के साथ जुड़ने से कृषि योग्य भूमि में तो सुधार एवं वृद्धि हुई ही है, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है, उनका पलायन रूका है, जिसके अनेक प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ सामने आ रहे हैं।

कृषि विकास कार्यों में मनरेगा कार्यक्रम उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, जिसमें निम्न आधारों के तहत कार्यक्रमों को किया जा रहा है :

1. सिंचाई हेतु अतिरिक्त भूमि का विकास
2. मिट्टी की प्रचुर उर्वरता एवं नमी संरक्षण
3. राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा मिशन एवं मत्स्य विभाग के साथ अभिसरण
4. घरेलू आय में वृद्धि के कारण कृषि निवेश की खपत में उत्तरोत्तर वृद्धि
5. कृषिगत–जलवायुवीय (सूखा एवं बाढ़) से उत्पन्न समस्या के निदान कार्य

परियोजना

पूर्वी उ0प्र0 तराई क्षेत्र का वह भाग है, जो अत्यन्त उपजाऊ तो है, परन्तु इसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहां पर एक तरफ तो नदियों–नालों का जाल बिछा हुआ है, दूसरी तरफ भूमि का ढाल भी कम है। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में पूर्वी उ0 प्र0 में बाढ़ नहीं तो जल–जमाव स्थिति आवश्यक रूप से बनी रहती है। इस क्षेत्र के 80 प्रतिशत छोटे मझोले किसानों की आजीविका कृषि आधारित है। ऐसी स्थिति में बाढ़ एवं जल–जमाव की निरन्तरता का इनकी खेती बुरी तरह प्रभावित होती है और इनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस स्थिति से निपटने हेतु गोरखपुर एनवायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप द्वारा पूर्वी उ0 प्र0 के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले छोटे, मझोले तथा महिला किसानों की आजीविका संवर्धन एवं उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से वर्ष 2008 मार्च में एक परियोजना प्रारम्भ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत बाढ़ अनुकूलित खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही क्षमता वर्धन के लिए कम लागत, स्थाई कृषि पर जागरूकता उत्पन्न करना एवं सरकारी योजनाओं से जुड़ाव का कार्य पूर्वी उ0 प्र0 के 6 जनपदों – गोरखपुर, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और देवरिया के 12 अति बाढ़ प्रभावित विकास खण्डों में सहयोगी सस्थाओं के साथ प्रारम्भ किया गया। परियोजना अंतर्गत सरकारी योजनाओं से जुड़ाव के उद्देश्य में विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को मिला।

परियोजना कार्यक्षेत्र एवं सहयोगी संस्थाएं

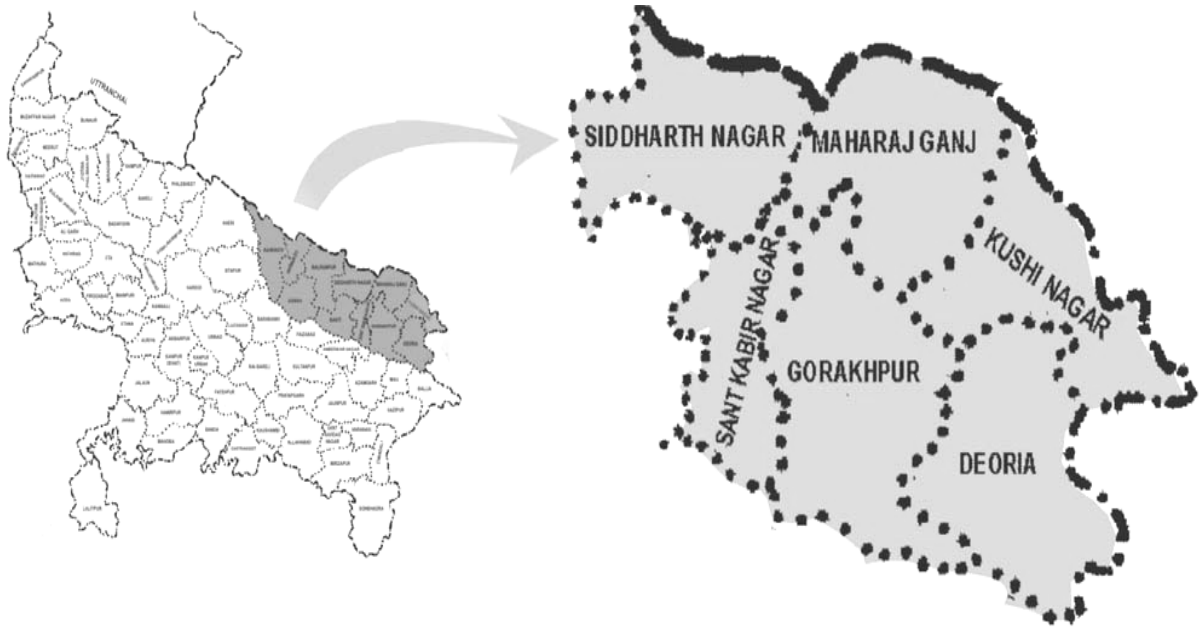

क्रम सं0	सहयोगी संस्था	विकासखण्ड	जिला
1	गौतम बुद्धा जागृति समिति	धानी	महाराजगंज
2	भारतीय जन कल्याण एवं प्रशिक्षण संस्थान	सिसवा	महाराजगंज
3	किसान विद्यालय	बड़हलगंज	गोरखुपर
4	गोरखपुर एनवायन्मेन्टल एक्शन ग्रुप	जंगल कौड़िया	गोरखुपर
5	सत्याग्रह सेवा समिति	सेवरही	कुशीनगर
6	ग्रामीण विकास सेवा समिति	हैसर और पौली	सन्त कबीर नगर
1	सहयोग	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर
2	आधार	बेलघाट	गोरखपुर
3	समाज कल्याण एवं बाल विकास परिषद	घुघली	महाराजगंज
4	स्वामी विवेकानन्द शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान	खेसरहा	संतकबीरनगर
5	संकल्प सेवा समिति	नौगढ़	सिद्धार्थनगर
6	जन सेवा संस्थान	गौरी बाजार	देवरिया

परियोजना अंतर्गत मनरेगा योजना का लाभ

परियोजना के सफल संचालन एवं इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु परियोजना क्षेत्र के किसानों का जुड़ाव विभिन्न सरकारी योजनाओं से हुआ। परियोजना में आजीविका को बढ़ाने हेतु कृषि के संदर्भ में मनरेगा योजना का लाभ भी छोटे एवं मझोले किसानों को हुआ। किसानों को मनरेगा में हुए कृषिगत लाभों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है:

1. बन्धा निर्माण एवं उच्चीकरण
2. खेतों का समतलीकरण
3. उद्यानीकरण
4. तालाब/पोखरे की सफाई
5. मेड़बन्दी
6. मनरेगा मजदूरी/आय से खेती के लिए लागत की व्यवस्था

बन्धा निर्माण एवं उच्चीकरण

1. बन्धा निर्माण एवं नाली की खुदाई से खेतों में नहीं लगता पानी

छोटी गण्डक नदी के किनारे बसा कोटवां विश्वनाथपुर जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत घुघली विकासखण्ड का बाढ़ प्रभावित गांव है। 80 प्रतिशत से अधिक परिवारों की निर्भरता खेती पर है, जबकि गांव में खेतीहर मजदूरों की संख्या भी यहां पर कम नहीं है। ऐसे में प्रत्येक वर्ष उफनने वाली गण्डक नदी से न केवल यहां के लोगों की खेती प्रभावित होती है बल्कि आबादी वाले क्षेत्र में भी लोगों को जल–जमाव का सामना करना पड़ता है। बिडम्बना यह हैं कि नदी की तीव्र धारा न केवल फसल बहा ले जाती थी बल्कि साथ में खेत भी काट ले जाती थी, नतीजतन लोगों को भारी हानि उठानी पड़ती थी और लोग जुलाई–अगस्त महीने में ऊॅचे स्थानों पर अपना अस्थाई निवास स्थान बनाने के लिए मजबूर हो जाया करते थे। सिर्फ यही नहीं खरीफ की फसल प्रत्यक्ष तो रबी की फसल प्रतिवर्ष अप्रत्यक्ष तौर पर नुकसान होती थी।

साल–दर–साल आने वाली इस तबाही से यहां के लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ–साथ सामाजिक क्षति भी उठानी पड़ रही थी, प्रत्येक वर्ष अस्थाई पलायन के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने लगी, ऐसी स्थिति को देखते हुए सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट परियोजना के अर्न्तगत संचालित समूहों ने इस विषय में चर्चा प्रारम्भ की। समूह के लोगों ने सुझाया कि यदि बंधा निर्माण हो जाये तो कटान एवं बाढ़ से बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए पहल कौन करे और धन कहां से आयेगा? यह एक बड़ा प्रश्न था। परियोजना से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लघु सीमान्त किसान मोर्चा के गांव व जिला पदाधिकारियों की एक बैठक कर उन्हें बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा से यह काम हो सकता है, परन्तु इसके लिए प्रधान के माध्यम से गांव कार्य योजना में इस काम को शामिल कराना होगा, जो एक आसान काम नहीं है और इस हेतु लघु सीमान्त किसान मोर्चा को पहल करनी होगी। तदुपरान्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश पासवान के नेतृत्व में प्रधान से वार्ता कर समस्याओं के साथ ही समाधान के उपायों पर भी चर्चा की गयी। कार्य आसान नहीं था, पर प्रयास सफलीभूत हुआ और बन्धा निर्माण को शामिल करते हुए कार्ययोजना तैयार कर अग्रेसित की गयी।

वर्ष 2010 में बंधा निर्माण के साथ ही बन्धा के किनारे पक्की नाली बनवाने का कार्य भी मनरेगा के तहत् हुआ, जिससे किसानों को दो तरफा लाभ हुआ। बंधा बन जाने से जहां किसानों की फसल व उपजाऊ भूमि का कटान रुक गया है, वहीं दूसरी तरफ खेतों का पानी आसानी से निकल जाने के कारण रबी की खेती भी समय से समपन्न हो पा रही है। ग्राम पकड़ियार से विश्वनाथपुर तक बना लगभग 1 किमी लम्बाई का यह बंधा कोटवां विश्वनाथपुर वालों के लिए खुशहाली का सबब बन गया है और लोग सरकार की ''**गांव में ही रोज़गार योजना**'' को साकार कर रहे हैं।

2. बन्धा उच्चीकरण से खेतों में नहीं होता अब जलजमाव

ग्राम सभा भिसिया विकासखण्ड बेलघाट जनपद गोरखपुर में स्थित है। यह गांव कुआनो नदी की बाढ़ से प्रत्येक वर्ष प्रभावित रहता है। यहां बांध तो बना था, किन्तु ऊंचाई कम होने के कारण बाढ़ के पानी को गांव में आने से रोक नहीं पाता है। इससे खरीफ की फसल लाख प्रयासों के बाद भी बर्बाद हो ही जाती थी।

इस ग्राम सभा में आधार संस्थान द्वारा सर दोराबजी परियोजना अंतर्गत गतिविधियों में समूह बनाये गये हैं। गठित समूह के सदस्यों ने ग्राम प्रधान से मिलकर मनरेगा द्वारा बांध को ऊंचा कराने की योजना की मांग की। प्रधान ने उनकी बात सुनी और इसके पश्चात् कार्ययोजना बनाकर प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव संस्तुत होने पर ग्राम प्रधान ने मनरेगा के तहत 80 मजदूरों को लगाकर नियमित रूप से 12 दिन कार्य करवाया, जिसकी लागत 1,15,200/– रूपये आई। बांध ऊंचा होने के कारण अब नदी का पानी बन्धे के बाहर नहीं जाता है, जिससे इस गांव के किसान खरीफ मौसम में खाली रहने वाली लगभग 100 एकड़ जमीन पर खरीफ मौसम में भी धान, मक्का, ऊर्द, ज्वार, बाजरा की अच्छी फसल उगा कर उत्पादन का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ बन्धा ऊंचा होने के कारण जब बाढ़ का पानी नहीं आ रहा है, तो रबी की फसल जैसे लाही, आलू, मटर, फूलगोभी की खेती भी समय से कर पा रहे हैं, क्योंकि जब बाढ़ का पानी जमा हो जाता था तब रबी की फसल भी अधिक नमी के कारण देर से बोई जाती थी।

बाढ़ के जलजमाव से पशुओं एवं मनुष्यों में अनेक बीमारियों का भी प्रकोप होता था, जो अब नहीं हो रहा है। इसके साथ आधार संस्था के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा प्रधान से अनुरोध करने पर 600 पौधे जैसे– जामुन, अमरूद, के फलदार पौधे भी मनरेगा द्वारा दिलाए गये, जिससे पर्यावरण सुधार के साथ भविष्य में खाद्य सुरक्षा में भी सहयोग मिलेगा।

खेतों का समतलीकरण

3. खेत समतलीकरण से कृषि लागत में कमी

श्रीमती किताबी देवी पत्नी फेरई राम ग्राम रामपुर दक्षिणी के राजस्व गांव दौलतपुर की निवासी हैं, जो विकास खण्ड हैसरबाजार, संतकबीर नगर के अर्न्तगत आता है। इनके पास कुल कृषि योग्य भूमि 1 एकड 60 डिसमिल है। ग्राम दौलतपुर घाघरा नदी व बी0डी0 बांध के बीच स्थित है। पहले इनकी जमीन उबड़–खाबड़ थी एवं खरीफ के दौरान खेतों में नवम्बर दिसम्बर तक पानी भरा रहता था। खरीफ में धान की फसल नाम मात्र की होती थी, जिससे 8 सदस्यीय परिवार के भरण–पोषण में किताबी देवी को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट परियोजना से जानकारी व मनरेगा के सहयोग से परिदृश्य बदल गया है और यह उनके चेहरे से स्पष्ट दिखता है।

ग्राम सभा में चलाये जा रहे टाटा परियोजना के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात् किताबी देवी ने ग्राम सभा में चल रहे किसान विद्यालय में नियमित आना शुरू किया। किसान विद्यालय के माध्यम से जानकारी पाकर सर्व प्रथम इन्होंने मनरेगा के सहयोग से अपने खेतों को समतल कराया, मृदा जांच के आधार पर उर्वरक व खादों का प्रयोग किया व पुरानी प्रजातियों के जगह पर नयी प्रजातियों को अपनाया और अपने खेतों में मसाले की खेती में धनिया एवं अजवाइन की खेती की। अपने घर 6 वर्मी कम्पोट पिट का निर्माण किया, बाढ़ पूर्व खेती करने के लिए एन0डी0आर0 97 जैसी प्रजाति के धान की रोपाई किया और अपने खेतों को ऊंचा कर जिमीकन्द की भी खेती की व इसका लाभ ले रही हैं।

किताबी देवी खेती तो पहले भी करती थीं, परन्तु अपने खेत से सही उत्पादन नहीं ले पाती थीं, क्योंकि खेत उबड़–खाबड़ था और पानी लगने से सर्वाधिक नुकसान होता था, किन्तु मनरेगा अंतर्गत भूमि समतलीकरण से इनको कृषि में अच्छा लाभ होने लगा। मात्र वर्ष 2007 के रबी मौसम में इन्होंने रू0 4870.00 की लागत लगाकर रू0 5130.00 का लाभ कमाया। पहले रबी के दौरान फसलों की संख्या 2 रही जबकि परियोजना से जुड़ने पर उसी प्रक्षेत्र पर रबी 2008–09 में तीन फसल लगाकर रू0 5012.00 रू0 की लागत लगाकर रू0 9498.00 का लाभ कमाया। खरीफ 2007 में रू0 3570.00 का लागत लगाकर रू0 4430.00 कमाया था जबकि खरीफ 2009 में 4 फसल की बुआई कर रू0 4640.00 की लागत लगाकर रू0 13710.00 का लाभ कमाया। इस प्रकार मनरेगा योजना के वित्तीय सहयोग के बाद सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट परियोजना के अंतर्गत दी गई जानकारी ने सोने में

सुहागा का काम किया और यह निरन्तर आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं।

4. खेत समतलीकरण से फसल की अच्छी पैदावार

गोरखपुर जनपद के बेलघाट विकासखण्ड के अंतर्गत ग्रामसभा कुरहरी है। यह गांव विकासखण्ड मुख्यालय के पूर्व दिशा में नजदीक ही स्थित है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। गांव की अधिकांशतः कृषि योग्य एवं सामुदायिक भूमि समतल नहीं है। यहां बहुतायत में छोटे किसान हैं, जो सब्ज़ी की खेती अच्छी प्रकार से करते हैं। किन्तु खेत उबड़–खाबड़ होने के कारण कोई फसल बहुत अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती थी। कभी सिंचाई में अधिक लागत तो कभी जल–जमाव की समस्या के कारण नुकसान होना यहां पर आम समस्या थी।

इसी गांव में श्री राजाराम निषाद एवं श्री महावत प्रसाद छोटे किन्तु उन्नत किसानों के रूप में जाने जाते हैं। इन लोगों ने गांव के लोगों के साथ बैठक किया। ग्राम प्रधान से मिलकर मनरेगा के तहत् खेत समतलीकरण करवाने की चर्चा किया। अपने खेत का समतलीकरण कराने का प्रस्ताव रखे। ग्राम प्रधान द्वारा इनके 1.80 एकड़ क्षेत्रफल वाले खेतों का मनरेगा के अन्तर्गत समतलीकरण करवाया गया।

अब इन दोनों किसानों का कहना है कि खेत समतल होने से सिंचाई की लागत भी कम लग रही है और फसलों का उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। साथ ही अब खेतों में जल–जमाव की समस्या से मुक्ति मिल जाने के कारण ये लोग उपयुक्त फसल बोकर अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं।

इनके इस कार्य से प्रोत्साहित होकर गांव के अन्य किसान भी जागरूक होने अपने खेतों का समतलीकरण मनरेगा के माध्यम से कराने हेतु प्रधान से इस दिशा में प्रयासरत हैं।

5. खेत समतलीकरण होने से सिंचाई में हुई बचत

देवरिया जनपद के विकास खण्ड गौरीबाजार अंतर्गत भटौली बुजुर्ग एक ग्राम सभा है। यह गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत है। इस गांव के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है किन्तु इस गांव अधिकांश कृषि भूमि समतल न होने कारण वर्षा का पानी खेत में नहीं रूकता था और पानी के निकलने के साथ मृदा के पोषक तत्व भी घुलकर नदी, नाले, तालाब, जलाशयों आदि में चले जाते थे। इससे खेतों की उर्वराशक्ति का धीरे–धीरे ह्रास होने लगा। परिणाम स्वरूप कृषि का उत्पादन घटने लगा। इस प्रकार की मृदा में कोई भी फसल लगाने से फसल की न तो वृद्धि होती थी न ही उपयुक्त उत्पादन मिल पाता था। इसके अलावा उबड़–खाबड़ होने से सिंचाई का खर्च भी 220 रूपया प्रति एकड़ की दर से बढ़ जाता है तथा फसल की असमान सिंचाई होने से उत्पादन लगभग 100 किलो प्रति एकड़ घट जाता था, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 1000.00 रूपये होता है।

उपरोक्त समस्याओं से प्रभावित ग्राम सभा के किसानों ने गौरीबाजार विकासखण्ड में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट परियोजना के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क किया। कार्यकर्ताओं ने किसानों को मनरेगा के अंतर्गत खेत की समतलीकरण के बारे में बताया तथा परामर्श दिया कि इस संबंध में ग्राम प्रधान से सम्पक्र कर योजना बनाना चाहिये।

भटौली बुजुर्ग ग्राम के किसानों ने ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर खेतों के समतलीकरण की योजना एवं प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया। ग्राम प्रधान ने इस योजना प्रस्ताव स्वीकार एव संस्तुत हो जाने पर कार्य आरम्भ किया। पहले तीन किसानों – श्री उदयमान, श्री लोटीक एवं श्री रामदरश के एक–एक एकड़ खेत का समतलीकरण करवाया। प्रत्येक किसान के खेत के समतलीकरण का खर्चा रू0 1000.00 आया। इस प्रकार रू0 3000.00 के खर्च से इन किसानों के खेतों में सुधार हो गया, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई लागत में कमी आई। यदि एक किसान के खेत की सिंचाई की लागत पर ध्यान दिया जाय तो प्रति एकड़ 220 रूपये की बचत प्रति सिंचाई हो रही और औसतन 4 सिंचाई प्रति फसल की दर से 880 रूपये की बचत हो रही है। यह समतलीकरण का कार्य सन् 2011 मई में किया गया है इस प्रकार इस कार्य के हो जाने इस पूरे वर्ष में लगभग 2600.00 रूपये की बचत प्रत्येक किसान द्वारा हो गया है। साथ ही मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास बन्द होने से खेत भी उपजाऊ हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मनरेगा के अंतर्गत इस ग्राम सभा में नाले की सफाई होने से भी जल–जमाव की समस्या कम हो गई है पहले इस क्षेत्र में वर्षा होने पर खेतों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती थी किन्तु नाले की सफाई के बाद जल रूकने नहीं पाता और इस वर्ष की खरीफ की फसल बर्बाद होने बच गई।

उद्यानीकरण

6. राष्टीय औद्यानिक मिशन से बैंगन की खेती के लिए निःशुल्क बीज

जनपद देवरिया का विकास खण्ड गौरीबाजार एक पिछड़ा क्षेत्र है। यहां का एक बाढ़ प्रभावित गांव करमाजीतपुर है। बाढ क्षेत्र होने के कारण यहॉ की खेती तो प्रभावित होती है साथ में छोटे–मोटे रोजगार भी जलजमाव के कारण प्रभावित होते हैं। इस गांव के बच्चों की शिक्षा भी जल–जमाव से प्रभावित होती है। इसके साथ ही महिलाओं को दोहरा बोझ उठाना पड़ता है। चूंकि इस गावं के किसानों का कृषि से पूरे परिवार की आजीविका चलाना सम्भव नहीं है और स्थानीय स्तर पर रोजगार कम मिल पाता है। इसलिए इस गांव के अधिकांश किसान परिवार की आजीविका चलाने मजदूरी का कार्य करते हैं, जिसके लिए पलायन कर बड़े बड़े शहरो में मारे मारे फिरते हैं एवं मजदूरी का कार्य करते हैं।

सर दोरावजी टाटा ट्रस्ट परियोजना अंतर्गत संचालित किसान विद्यालय के दौरान मनरेगा योजना की जानकारी दिया गया तो इससे प्रभावित होकर कुछ किसान आगे आकर अपना जॉब कार्ड बनवाये व रोजगार हेतु ग्राम प्रधान मिले, जिससे इन्हें मनरेगा योजना अंतर्गत 40–50 दिनों का कार्य मिला।

परियोजना अंतर्गत संचालित किसान विद्यालय पर संदर्भ व्यक्ति, श्री प्रद्युमन राव जी ने बताया कि राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना के अर्न्तगत जिन किसानों के पास जाब कार्ड हैं, उन किसानों को बैंगन, मिर्चा, टमाटर की खेती प्रदर्शन मिल सकता है। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत जाब कार्ड जिनका होगा उस किसान को बैंगन की खेती हेतु 3000.00 रुपये, मिर्चा की खेती हेतु 2600.00 रुपये तथा टमाटर की खेती हेतु 2100.00 रुपये मिलेगें। यह सुनकर किसानो में खुशी की लहर दौड़ गई और किसानों ने इस हेतु उद्यान विभाग से सम्पर्क किया। फलस्वरूप मनरेगा योजना और राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन से सम्मिलित रूप 18 किसानों को प्रदर्शन मिला। इसके बाद किसानों ने मेहनत के साथ काम किया।

इस तरह से किसानो को राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के तहत प्रत्येक किसान को 45 डिसमिल खेत हेतु बैंगन, मिर्च व टमाटर का बीज निःशुल्क मिला। कुल 18 किसानो 48000.00 रुपया का लाभ दिलाया गया।

मनरेगा योजना से किसान की खेती में आमदनी मिली और वह काफी खुश थे और इस योजना के जुडाव के लिए जन सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिये।

7. मनरेगा में उद्यानीकरण

फूलवरिया ग्राम सभा विकासखण्ड जंगल कौड़िया जनपद गोरखपुर में स्थित है। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ यह गॉव पूरा बाढ़ क्षेत्र हैं और यहां के लोगों को प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है। ऐसे में मुख्य तौर पर खेती पर निर्भर करने वाले यहों के अधिकांशतः किसानों एव उनके साथ–साथ पशुओं के समक्ष खाने का बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। यहॉ के किसानों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत खेती ही हैं। क्योंकि बाढ़ आने से यहॉ कि अधिकतर फसले नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य की आजीविका के खतरे के साथ पशुओं के चारे की भी कमी हो जाती हैं।

ग्राम फुलवरिया के एक छोटे किसान हैं राघवेन्द्र जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। इनके परिवार में तीन बच्चे और एक पत्नी हैं। इन सबका भरण पोषण खेती से ही होता हैं। इनके पास 2.5 बीघा जमीन है जिसमें ये विभिन्न प्रकार की फसले लगाते हैं। परन्तु बाढ़ के कारण इन्हें काफी कठिनाई उठानी पड़ती थी। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट परियोजना के अंतर्गत संचालित किसान स्कूल के दौरान इनकी मुलाकात जी.ई.ए.जी. कार्यकर्ता से हुई और इन्होंने अपनी समस्या से परियोजना से जुड़े लोगों को अवगत कराया। कार्यकर्ताओं ने इनकी कृषिगत गतिविधियों, व्यय एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें मनरेगा योजना में उद्यान विभाग से जुड़ाव की न सिर्फ जानकारी दी, बल्कि उन्हें उनकी इससे जुड़ने में सहायता भी की।

उद्यान विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना के उद्यानीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्होनें 50 डिसमिल खेत में भिण्डी की सब्जी लगाई, जिसमें विभाग से इस योजना के अन्तर्गत 1,600.00 रुपया का बीज निःशुल्क दिया गया और 4,040.00 रुपये नगद राशि दी गई। कुल मिलाकर 5,640.00 रुपये प्राप्त हुए। इसमें 10.5 कुन्तल भिण्डी का उत्पादन हुआ जिसे 1,500.00 रुपया प्रति कुन्तल बेचकर कुल 15,750.00 रुपया का धनराशि प्राप्त हुआ। पानी (सिंचाई के लिए) जैविक खाद, जुताई इत्यादि में व्यक्तिगत खर्च 2,000.00 रुपये खर्च हुआ। इस प्रकार कुल लागत 7,640.00 रुपय के सापेक्ष इनको रू0 8,110.00 का शुद्ध लाभ हुआ, जो इनके उत्साह को बढ़ा रहा है। प्राप्त लाभ से इन्होंने अपनी एक कमरे की छत लगवाई और घूप, पानी से परिवार को बचाने में सफल हुए।

तालाब/पोखरे की सफाई

8. तालाब की सफाई के बाद समूह की महिलाओं ने किया मछलीपालन

ग्राम पंचायत चपरापूर्वी विकासखण्ड हैसर बाजार, जनपद संतकबीर नगर घाघरा नदी के किनारे स्थित है। जहां पर किसानों द्वारा जीवनयापन करना बेहद मुश्किल एवं चुनौतीपूर्ण है। घाघरा नदी की बाढ़ की विभीषिका का सामना यहां के किसानों को करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए रविदास स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती विमला देवी ने समूह का गठन करके महिलाओं में जागरूकता लाकर स्वावलम्बी बनाने एवं आजीविका संकट की समस्या से निपटने के हेतु विचार बनाया। उनके सामने विकल्प के रूप में गांव के बगल में बेकार पड़ा तालाब था, जिसका इन महिलाओं ने चुनाव किया एवं मछली पालन करने का निर्णय लिया।

रविदास स्वयं सहायता समूह के कुछ सदस्य

मछली पालन हेतु धनराशि की कमी होने के कारण महिलाएं काफी निराश थी लेकिन इसी दौरान ग्रामीण विकास सेवा समिति, बस्ती द्वारा महिलाओं को प्रेरित किया गया कि ग्राम प्रधान से पोखरे के सुन्दरीकरण कराने हेतु बात करें एवं अपने प्रस्ताव को उनके सामने रखे।

ग्राम प्रधान ने पोखरे के सुन्दरीकरण कराने हेतु टालमटोल करने पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विकास खण्ड अधिकारी, हैंसर बाजार को प्रार्थना–पत्र दिया। विकास खण्ड अधिकारी ने स्वयं सहायता समूह की कार्यविधि एवं रूझान को देख कर कहा कि आप सभी लोग घर जाएं एवं अगले हफ्ते पोखरे का सुन्दरीकरण मनरेगा के जरिये कराया जायेगा और जून 2010 में पोखरे का सुन्दरीकरण विकास खण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ग्राम प्रधान ने कराकर महिलाओं के सामने आशा की किरण लौटाई। सुन्दरीकरण का कार्य 25 दिनों तक चला। तत्पश्चात स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मनरेगा के माध्यम से 1200.00 रूपये की लागत से 8,000 मछली के बच्चों को पहली बार में डाला तथा सुन्दरीकरण के दौरान 8 दिन के लिए 25 मजदूरों पर आई लागत को जोड़कर कुल लागत रू0 20,000.00 के सापेक्ष महिलाओं को इस लाभ को पाकर रविदास स्वयं सहायता समूह काफी खुश है और समूह के सदस्यों ने मनरेगा योजना, ग्राम प्रधान व विकास खण्ड अधिकारी को धन्यवाद दिया।

9. पोखरे का सुन्दरीकरण एवं सिंचाई व्यवस्था

जनपद गोरखपुर के बेलघाट विकासखण्ड के अंतर्गत ग्रामसभा सोमवापुर है। यहां के ग्राम प्रधान इस ग्राम के विकास एवं वातावरण हेतु बहुत सचेत है। इस ग्रामसभा में 60 डिसमिल का पोखरा मौजूद था जो पहले बहुत गंदा एवं बेकार था। मनरेगा अंतर्गत इस पोखरे के सुन्दरीकरण एवं सफाई की योजना बनाई गई और सन् 2010 में इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 60 आदमियों को लगाया गया 20 दिन में यह कार्य पूर्ण हो गया जिसमें रू0 1,44,000/– का खर्च आया।

पोखरा के सुन्दरीकरण एवं सफाई से वर्षा का पानी पोखरे एवं जलाशय में इकट्ठा हो जाता है। इससे पशुओं को स्वच्छ जल मिल जाता है साथ ही इस पोखरे से सिंचाई का कार्य भी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 40–50 एकड़ कृषि योग्य भूमि का सिंचाई इस पोखरे से होती है। जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग रू0 8000.00 की बचत हो सकी हैं एवं उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

इसके साथ इस सोमवापुर ग्राम सभा में मनरेगा अंतर्गत अमोलवा गांव में लगभग एक किलोमीटर नाले की साफ–सफाई का कार्य किया गया जिसमें 22 दिनों तक 60 मजदूरों द्वारा 120 रूपये मजदूरी की दर कार्य सम्पन्न किया गया। इस कार्य के पूर्ण हो जाने से खेत का पानी नाले के माध्यम से निकल जाता है। इससे कृषि क्षेत्र में जलजमाव की समस्या नहीं होती है। इस नाले की उपयुक्त सफाई होने से लगभग 85 एकड़ खेत में जलजमाव नहीं होने पाता है। इससे फसल बर्बाद नहीं होती है।

साथ ही इस गांव में मनरेगा अंतर्गत 1200 आम के पौधों का रोपड़ किया है। यह इस ग्राम सभा की भविष्य निधि के रूप में है।

मेड़बन्दी

10. मेड़बन्दी एवं खेत का उच्चीकरण

गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज विकासखण्ड में बुढ़नपुर एक ग्राम सभा है। यह गावं घाघरा नदी के बाढ़ से लगभग प्रत्येक वर्ष प्रभावित रहता है। इस ग्राम सभा के अधिकांश लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं मजदूरी हैं। इसी ग्राम सभा में शनिचरा देवी पत्नी कुन्ज विहारी नामक महिला रहती हैं। इनके परिवार में पति–पत्नी एवं तीन बच्चे हैं। इनका आजीविका का मुख्य स्त्रोत मजदूरी हैं, परन्तु नियमित रुप से मजदूरी न मिलने के कारण आजीविका की समस्या हमेशा बनी रहती हैं।

इस ब्लॉक में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट परियोजना, किसान विद्यालय, धौबौली के द्वारा संचालित हो रही हैं। जब श्रीमती शनिचरा देवी का सम्पर्क परियोजना के कार्यकर्ताओं से हुआ तो परियोजना के कार्यकर्ताओं ने पंचायत सचिव से सम्पर्क करके जॉब कार्ड बनवाया। पिछले 2 वर्ष में कुल 14800 रुपया परिश्रमिक प्राप्त हुआ।

संस्था के कार्यकर्ताओं ने श्रीमती शनिचरा देवी को सुझाव दिया कि वे अपने मजदूरी के पारिश्रमिक से कुछ भाग खेत के उच्चीकरण में प्रयोग करें, जिससे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट परियोजना अंतर्गत संचालित गतिविधियों एवं जानकारी का लाभ कृषि में ले सकें। यह बात श्रीमती शनिचरा देवी को पसन्द आई।

श्रीमती शनिचरा देवी ने अपने 30 डिसमिल खेत जो निचली भूमि है और इसमें खरीफ ऋतु के दौरान जलजमाव हो जाता था, का उच्चीकरण करवाया। इसमें 40 ट्राली मिट्टी डालने से खेत का स्तर ऊॅचा हो गया और और मेड़बन्दी का कार्य भी किया गया। पहले इस खेत की मृदा काली मिट्टी युक्त थी किन्तु बाद में बलुअट मिट्टी डालने से मिट्टी के प्रकार में परिवर्तन हो गया। जिससे इसकी उर्वरा शक्ति भी बदल गयी अब धान और गेहूॅ दोनों फसलों की अच्छी पैदावार लेती हैं।

अब श्रीमती शनिचरा देवी के पारिवारिक खर्चो का व्यय खेती एवं मजदूरी से भली–भॉति संचालित हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई एवं रहन–सहन में सुधार आया हैं।

मनरेगा मजदूरी से कृषि लागत की व्यवस्था

11. छोटी जोत के किसान ने किया बहुफसली खेती

जनपद गोरखपुर विकासखण्ड जंगल कौड़िया बाढ़ विभीषिका एवं जल जमाव से प्रभावित क्षेत्र है। यह दो नदियों राप्ती और रोहिन से घिरा हुआ है। स्थिति बरसात के दिनों में और भी दयनीय हो जो जाती है जब इन नदियों में अतिरिक्त जल एकत्र होकर जल का उफान होने लगता है। इस कारण से निचले क्षेत्रों में लगातार 2–3 माह तक जल जमाव की स्थिति बन जाती है। क्योंकि इस गांव के अधिकांश कृषि योग्य भूमि निचली है इसलिए खेतों में भी पानी इकट्ठा हो जाता है। रबी की फसल गेहूँ, जौ, सरसों, इत्यादि की की बुआई देर से होने के कारण इन फसलों की पैदावार भी प्रभावित होती है।

विकास खण्ड जंगल कौड़िया के ग्राम जिन्दापुर के टोला लहगीबारी की एक महिला किसान श्रीमती गीता देवी हैं। जब गाँव प्रभावित होता है जो उस समय आजीविका पर संकट आ जाता है। यही नहीं पशुओं के चारे व बीमारी की परेशानी भी साथ में बढ़ जाती है। इनके पास मात्र 30 डिसमिल जमीन खेती योग्य है। इनकी यह जमीन भी जलजमाव से प्रभावित होती है। इस में यह अनाज वाली फसलें उगाती हैं। इनके परिवार में 5 सदस्य हैं। इनकी आजीविका का मुख्य साधन खेती ही है।

इनका गाँव जी0ई0ए0 जी0 द्वारा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट परियोजना के अन्तर्गत चयनित है। सन् 2010 में जी0ई0ए0 जी0 द्वारा संचालित किसान विद्यालय के संचालन के दौरान इन्होंने जॉब कार्ड की समस्या पर सवाल पूछा। कार्यकर्ताओं ने इनको जॉब कार्ड बनवाने के पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया एवं इनका सहयोग भी किया। जॉब कार्ड बन जाने के बाद एक वर्ष में 62 दिन का रोजगार मिला और 6200.00 नगद प्राप्त हुआ। उसी वर्ष इन्होंने 7.5 डि0 खेत में नेनुआ की सब्जी लगाई जिसमें 8 कुन्तल उत्पादन हुआ जिसका औसत विक्रय मूल्य 12,000.00 रूपये हुआ। अब यह अपना ज्यादा समय खेती का कार्य करने में लगाती हैं। साथ ही अपनी जरूरत की सब्जी, अनाज, मसाला अपने ही खेत में उगाती हैं और अपने परिवार की सारी जरूरतें खेती से ही पूरी करती हैं।

12. मजदूरी से सब्ज़ी उत्पादन हेतु बीज की व्यवस्था

गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज विकासखण्ड में स्थित सीधेगौर गांव जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इस गांव के एक प्रगतिशील किसान श्री हरिनन्दन है। जिनकी आजीविका कृषि पर आधारित है। इनका यह गांव सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट परियोजना के कार्य क्षेत्र में आता है। यहॉ पर श्री हरिनन्दन की मुलाकात परियोजना अंतर्गत संचालित किसान विधालय, धोबौली संस्थान के कार्यकर्ता से हुई है। परियोजना के इस कार्यकर्ता के माध्यम से बातचीत के दौरान श्री हरिनन्दन ने अपनी खेती से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया। साथ किसान ने यह भी बताया कि खेती के लिए लागत की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होता है। परियोजना के कार्यकर्ता ने इस समस्या के निदान हेतु मनरेगा कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। बाद में पंचायत सचिव से मुलाकात भी करवाई। कार्यकर्ता के इस प्रयास से श्री हरिनन्दन का मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड बन गया।

मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड बनने के बाद किसान 40 दिन का रोजगार मिला जिससे इनको 4000 रूपये मजदूरी के रूप में प्राप्त हुए। इस पैसे से खरीफ 2011 में लोबिया का बीज खरीदे और अपने 0.5 एकड़ के खेत में मक्के के साथ में मिश्रित खेती किये। 6 माह में 8 कुन्टल लोबिया का उत्पादन हुआ। लोबिया की बाजार मूल्य औसतन 10 रूपया प्रति किलों के हिसाब से रूपये 8000.00 प्राप्त हुआ इसी प्रकार मक्का का 5000 प्राप्त हुआ। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ हैं।

जहां पहले यह किसान अपना खेती भी नहीं कर पाता था वहीं अब खेती के लिए बीज, सिंचाई मजूदरी आदि की व्यवस्था कर लेता हैं। किसान धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा की खेती कर रहा है। साथ ही अब सब्जी की खेती भी प्रारम्भ कर दिया हैं। किसान अब मिश्रित खेती करता है। मनरेगा से जुड़ने के बाद किसान की इतनी जानकारी मिली कि इन्होंने इन्दिरा आवास के लिए प्रयास किया और आवास भी मिला है।

13. मनरेगा ने किया पशुपालन में सहयोग

ग्राम बेलघाट खुर्द विकास खण्ड जंगल कौड़िया जनपद गोरखपुर में स्थित एक गाँव है। यह गाँव राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी के बगल में एक बांध बना है जो इस गाँव में नदी को घुसने से रोकता है। यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहां लगभग एक वर्ष के अन्तराल पर बाढ़ आ ही जाती है। बाढ़ आने से यहां के किसानों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है साथ ही पशुओं के चारे की कमी व बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है।

इसी गाँव की एक महिला किसान श्रीमती मेवाती देवी हैं। इनके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। इनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। यह गाँव गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप के द्वारा सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट परियोजना के अन्तर्गत चयनित है। इनकी मुलाकात जी0ई0ए0 जी0 के कार्यकर्ता से हुई उन्होंने बताया कि आप सरकार की योजना मनरेगा में काम करके अपनी स्थिति सुधार सकती हैं।

उन्होंने ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी को जाब कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया। पहले तो प्रधान व सेक्रेटरी ने उनकी बात नहीं सुनी। श्रीमती मेवाती देवी स्वयं सहायता समूह की सदस्य भी हैं। उन्होंने सारे सदस्यों के साथ प्रधान का घेराव किया। उसके बाद उनका जॉब कार्ड बना और काम मिला। 2010 में इन्हें मनरेगा योजना के अन्तर्गत 58 दिन का रोजगार मिला जिसमें 5800.00 रूपये नगद मिला। इस पैसे में से उन्होंने 5000.00रू0 की एक गाय खरीदी जो प्रतिदिन औसत 4 लीटर दूध देती थी। उस व्यात में गाय ने 205 दिन दूध दिया जिसे 20.00 रू0 प्रति लीटर के हिसाब से बेच कर कुल 16,400.00 रू0 प्राप्त हुआ। गाय के रख–रखाव व दाना/भूसा में खर्च 7800.00 घटाकर शुद्ध लाभ 8,600.00 का हुआ। इसमें से 3,000.00 का टीन शेड व 6,000.00 में 2 बीघा जमीन रेहन लिया। इनके पास निजी जमीन 1 बीघा मात्र है लेकिन रेहन लेने के बाद इनके पास 3 बीघा जमीन हो गयी है।

अब इनके परिवार के भोजन के लिए अनाज व सब्जी बाजार से नहीं खरीदनी पड़ती है उसी खेत से पूर्ति होती रहती है। अब इनको मनरेगा में कार्य करने का समय कम ही बचता है। यह कृषि व पशुपालन में अधिक समय देती हैं। आज वह एक सफल महिला किसान हैं।

14. मनरेगा की आय से महिला मजदूर ने किया नर्सरी उत्पादन

ग्राम मंझरिया विकास खण्ड जंगल कौड़िया, जनपद गोरखपुर में स्थित है। यह गांव राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। नदी और मंझरिया गांव के मध्य बांध तो बना है किन्तु बांध ऐसे बना है कि नदी का जल स्तर बढ़ने पर पानी आगे से घूमकर गांव में आ जाता है। इस गांव में लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। कभी–कभी बाढ़ नहीं आने पर भी वर्षा होने से ही जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विगत पांच वर्षों में 3 बार बाढ़ आयी हैं। बाढ़ आने पर यहां के लोगों की आजीविका पर संकट आने के साथ ही पशुओं के लिए चारे की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इस संकट की स्थिति में मजदूरी ही यहां के लोगों के आजीविका की सहारा होती है।

इस गांव की एक महिला किसान श्रीमती तिजिया देवी है। इनके 8 सदस्यीय परिवार है। परिवार में इनके साथ 2 बेटे, 2 बहुएं और उनके 3 बच्चे हैं। इनके पति की मृत्यु के बाद परिवार की सारे दायित्व इनके सर पर है। घर की मुखिया होने के कारण जब बाढ़ के कारण इनकी फसल नष्ट हो जाती है तब परिवार की आजीविका चलाने के लिए मजदूरी ही सहारा होती है।

सन् 2011 में तिजिया देवी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट परियोजना गठित लघु सीमान्त कृषक मोर्चा की सदस्य बनी। सदस्य बनने के बाद इनको मोर्चा की बैठक में मनरेगा अंतर्गत मजदूरी के बारे में जानकारी मिली। जिससे मजदूरी का कार्य करने के लिए तिजिया देवी जब ग्राम प्रधान से मिली। कार्य मिलना आसान तो नहीं था किन्तु मोर्चा की सदस्य होने के कारण इनको मनरेगा अंतर्गत एक वर्ष में 71 दिन का कार्य मिला। इसकी मजदूरी 7100 रूपये प्राप्त हुई। इस आय से इन्होंने एक पड़िया खरीद लिया और उसका पालन करती है। साथ में इन्होंने नर्सरी हेतु आवश्यक सामान खरीद कर नर्सरी उत्पादन भी कर रही हैं। आज इनकी नर्सरी में अमरूद, जामुन, सागौन की पौध तैयार हैं, जिन्हें यह आस–पास के गांवों में किसानों को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला रही हैं। उत्साहित होकर तिजिया देवी कहती है कि सरकार की यह योजना बहुत अच्छी है क्योंकि अब गरीब लोगों को गांव में काम मिल जाने से सूदखोरों से कर्जा नहीं लेना पड़ता है।

15. मजदूरी ने किया सब्ज़ी उत्पादन हेतु लागत की व्यवस्था

सिद्धार्थनगर जनपद के खेसरहा ब्लॉक अन्तर्गत बेलऊख एक ग्राम सभा है, जो बूढ़ी राप्ती नदी के बाढ़ से प्रभावित होता हैं। यहॉ अधिकांश छोटे एवं मझोले किसान रहते हैं जिनकी आजिविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं मजदूरी है, परन्तु बिडम्बना है कि एक तरफ जहां बाढ़ के कारण खेती नहीं हो पाती, वहीं दूसरी ओर नियमित रूप से मजदूरी न मिल पाने के कारण आजीविका का संकट लगभग हमेशा ही बना रहता है।

इसी ग्राम सभा में श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्यामवली रहती हैं। इनके परिवार में पति–पत्नी एवं चार बच्चे हैं। इनकी भी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं मजदूरी है। इनके पति वर्ष 1998 के बाढ़ के बाद बाहर पलायन कर गये। इसी दौरान टाटा परियोजना के अन्तर्गत जी.ई.ए.जी. एवं स्वामी विवेकानन्द शिक्षा एवं समाज कल्याण के द्वारा संचालित परियोजना के कार्यकर्ता से मुलाकात हुआ। इन्होंने वर्ष 2010 में ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से सम्पर्क करके श्रीमती पार्वती देवी का जॉब कार्ड बनाने के लिए आवेदन करवाया। जॉब कार्ड बन जाने के बाद एक साल के अन्दर उनको मनरेगा के तहत 60 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ। जिससे कुल रुपये 6,000.00 प्राप्त हुआ।

इसी दौरान संस्था ने सत्याग्रह सेवा समिति सेवरही कुशीनगर का क्षेत्र भ्रमण करवाया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान गजेन्द्र प्रजाति का सूरन देखने को मिला, जो बहुत ही लाभकारी लगा। वहीं से 100 किग्रा0 सूरन का बीज लेकर आये और लगभग 20 डिसमिल क्षेत्रफल में सूरन एवं बोड़ा की मिश्रित खेती किया, जिसमें बीज, खाद, सिंचाई आदि का कुल 4,800.00 रुपये व्यय हुआ। लगभग एक साल के अन्दर सूरन से 7,000.00 रुपये एवं बोड़ा से 6,000.00 रुपये प्राप्त हुआ। इस प्रकार 4,800.00 रुपये लगाकर 8,200.00 का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। इस पैसे को पुनः इन्होने मोमबत्ती बनाने में लगाया, जिससे नियमित रुप से आमदनी प्राप्त हो रहा है। अब इनकी आजीविका एवं रहन–सहन में लगातार सुधार हो रहा है।

अन्ततः

परियोजना के चार वर्षों में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित किया गया, अनेकानेक माध्यमों से किसानों, क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोगों, समुदाय आधारित संस्थाओं को जागरूक व क्षमतावान बनाया गया। इस पूरी अवधि में कार्यकर्त्ताओं व किसानों के अनुभवों को देखकर यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि सरकार द्वारा छोटे–मझोले किसानों हेतु जो भी योजनाएं चलाई गयी हैं, उनके बारे में तीन स्तरों पर कमियां हैं –

- प्रथम तो जिन लोगों के लिए ये योजनाएं हैं, उन तक इसकी कोई जानकारी ही नहीं पहुंच पाती अर्थात् बहुधा छोटे–मझोले किसानों को इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं हो पाती

- यदि होती भी है तो समय बीतने के पश्चात् अथवा जब तक किसान इन योजनाओं को जानकर उन तक पहुंचने का प्रयास करें तब तक योजना का मूल स्वरूप ही बदल जाता है और योजना अपने उद्देश्य से ही भटक जाती है।

- तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता न होने की वजह से भी बहुत से पात्रों को लाभ नहीं मिल पाता है।

उपरोक्त स्थितियां तो कमोबेश हैं ही, परन्तु आशा की किरण भी यहीं से निकलती है और स्वयंसेवी संगठनों के साथ–साथ स्थानीय प्रशासन भी इस दिशा में बेहतर प्रयासरत है और लोगों को इसका लाभ भी दिलाने के लिए तत्पर है। ऊपर दिये गये कुछ उदाहरण ऐसे ही हैं, जहां लोगों ने प्रयास किया और सफलता पाई है, तो निश्चित तौर पर योजनाएं हमेशा ही अच्छी होती हैं, बशर्ते कि उसे सही दिशा मिले। मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की व्यापकता को देखकर बड़े पैमाने पर उसकी सफलता की कामना की जा सकती है।

मनरेगा योजना एवं कृषिगत सहयोग

1. सिंचाई हेतु अतिरिक्त भूमि का विकास

* गांव के क्षेत्र में 250–500 हेक्टेयर की भूमि पर जल संरक्षण का कार्य
* नरेगा के अंतर्गत गैप फिलिंग का कार्य
    - ऐसे क्षेत्रो जिन्हें जल ग्रहण विकास कार्यक्रम में रखा जा सकता है परन्तु पर्याप्त धन अभाव के कारण पूर्णता नहीं प्राप्त हुआ
    - ऐसे कठिन जो जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गये किन्तु संशोधित मूल्य आधार भी क्षेत्र की कार्य की पूर्णता के लिए पर्याप्त नहीं है
    - नये क्षेत्र, जहां मनरेगा के अंतर्गत जल ग्रहण विधि के आधार पर आयोजना तैयार किया जा सका है किन्तु जो जल ग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत न तो लिए गये न हीं उनकी योजना बनी

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं मनरेगा द्वारा कृषि में किये गये कार्य

* क्षेत्र विस्तार के माध्यम से चावल, गेंहू, एवं दालों के उत्पादन में वृद्धि एवं कृषि
* व्यक्तिगत स्तर पर खेत की मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता को बढ़ाना
* रोजगार अवसरों का सृजन करना एवं खेती के स्तर पर लाभ वृद्धि कर किसानों में विश्वास बढ़ाना

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं मनरेगा

* वर्षा सिंचित खेती के विकास और जल–संभरण क्षेत्रों, नदी घाटियों एवं बंजर भूमि का एकीकृत विकास
* बागवानी के उत्पादन को बढ़ाने एवं सूक्ष्म सिंचाई को लोकप्रिय बनाने हेतु गतिविधियां
* ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन एवं व्यापक पुनर्चक्रण के माध्यम से जैविक खाद को प्रोत्साहन
* आम एवं समुदायिक भूमि में बीज उत्पादन का कार्यक्रम
* फसल की कटाई के बाद, खलिहान का कार्य, भण्डारण एवं मजदूरी कार्य आदि की सुविधा

4. घरेलू आय में वृद्धि के कारण कृषि निवेश की खपत में बढ़ोत्तरी

स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाने के कारण छोटे व मझोले किसान दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाते है और मनरेगा अंतर्गत प्राप्त मजदूरी की आय को कृषि निवेश उपयोग करते हैं इसके साथ ही मनरेगा में महिलाओं के रोजगार प्राप्त कर लेने से घर की आय में बढ़ोत्तरी होती है।

* पुरूष के पलायन न करने से कृषि में श्रम का सहयोग
* महिला द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने से कृषि में लागत की सहयोग
* अपने खेत में श्रम हेतु आय मिलने से घर पहले की आय का बचत एवं किसान में खेती के लिए विश्वास की भावना का विकास

स्रोत : ***nfsm.gov.in/Presentations/NREGA.ppt***

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप एक स्वैच्छिक संगठन है, जो स्थाई विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सन् 1975 से काम कर रहा है। संस्था लघु एवं सीमान्त किसानों, आजीविका से जुड़े सवालों, पर्यावरणीय संतुलन, लैंगिक समानता तथा सहभागी प्रयास के सिद्धान्तों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। संस्था ने अपने 30 साल के लम्बे सफर के दौरान अनेक मूल्यांकनों, अध्ययनों तथा महत्वपूर्ण शोधों को संचालित किया है। इसके अलावा अनेक संस्थाओं, महिला किसानों तथा सरकारी विभागों की आजीविका और स्थाई विकास से सम्बन्धित मुद्दों पर क्षमतावर्धन भी किया है।

आज जी०ई०ए०जी० ने स्थाई कृषि, सहभागी प्रयास, तथा जेण्डर जैसे विषयों पर पूरे उत्तर भारत में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है। संस्था की उपलब्धियों, प्रयासों तथा विशेष क्षमताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की काउंसिल (ECOSOC) ने वर्ष 2000 में जी०ई०ए०जी० को विशेष कंसल्टेटिव स्टेटस प्रदान किया है।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर-273001
दूरभाष : 0551 2230004, फैक्स : 0551 2230005
ई-मेल : geag@geagindia.org, geagindia@gmail.com
वेबसाइट : www.geagindia.org